सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 06.11.2023

युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले वांछित अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में *थाना सैफई* पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

वादी संतोष कुमार पुत्र श्री विजय सिंह द्वारा दिनांक 01.11.2023 को थाना सैफई पर तहरीर दी गयी कि अशोक कुमार, सिन्टू तथा सुरेन्द्र उसके पुत्र आशीष उर्फ छोटू को घर से बुलाकर कही ले गये और उसके साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर शव पेड पर लटका दिया गया है। तहरीर के आधार पर थाना सैफई पर मु0अ0सं0 234/2023 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था विवेचना से साक्ष्य के क्रम यह तथ्य प्रकाश में आये कि मृतक आशीष की तीन दिन पूर्व सिन्टू कठेरिया पुत्र अशोक कुमार निवासी नगला पमी थाना सैफई से झगडा हुआ था। इसी प्रकरण को लेकर नामित अभियुक्तों द्वारा एससीएसटी एक्ट में मृतक आशीष को फँसाने का दबाव बनाया जा रहा था। इसी उकसावे से प्रताडित होकर आशीष द्वारा आत्महत्या की गयी। **विवेचना के आधार पर मु0अ0सं0 234/2023 धारा 306 भादवि में तरमीम किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/ वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन मे थाना सैफई पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति वाहन/ चैकिंग की जा रही थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि **मु0अ0सं0234/23 मे वांछित अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह** हवाई पट्टी रोड से ओडमपुर जाने वाली रोड पर कही जाने की फिराक मे खडा है। सूचना पर तत्काल थाना सैफई पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये मुकदमा उपरोक्त मे **वांछित अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह** को सैफई हवाई पट्टी रोड के पास समय 10.40 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुरेन्द्र सिंह पुत्र विश्राम सिंह ग्राम बंजराहार थाना सैफई जनपद इटावा उम्र 59 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 234/23 धारा 306 भादवि थाना सैफई जनपद इटावा ।

पुलिस टीम- - निरीक्षक मो0 कामिल, उ0नि0 ब्रजेश कुमार सिंह, का0 शुभम, का0 नितिन कुमार।